

राशमी  
(उपखण्ड अधिकारी)  
सहायक कलेक्टर  
राशमी

राशमी जिला  
राशमी जिला  
को सूचना।

1. तहसीलदार, राशमी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र प्रतिलिपि :-

क्रमांक: सस्टि/5-11(216)/2023 दिनांक :-

राशमी  
(उपखण्ड अधिकारी)  
सहायक कलेक्टर  
राशमी



1.	राशमी	511	लागासिंह	लागासिंह
क.सं.	सौजा	खाला संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)

आदेश दिये जाते हैं :-

प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का **राशमी** व जिला **वित्तियत** की जमाबन्दी सम्वत् **2077** में खाला संख्या **511** में वर्तमान में दर्ज राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में सौजा **राशमी** तहसील निरीक्षक वृत्त **राशमी** की रिपोर्ट तथा तहसीलदार **राशमी** की राजस्व अनुशेषा के आधार पर प्रार्थी के **"खाला डूजरी"** प्रार्थना पत्र एवं पटवारी, पटवार हल्का **राशमी**, में अभिलेख

प्रसंग :- 216 / 2023

:- आदेश :-

प्रशासन गांवों के संग  
अभियान-2023

(पीठासीन अधिकारी कैम्प ऑफिस) कैम्प :- राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राशमी

राजस्थान सरकार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पटल सहायक कलेक्टर राशमी

